

3/09/2024

स

पत्रावली फेरा हुई। पार्थी वकील उषा।  
 बहल पार्थी-पत्र 25। उ के लक्ष सुनी  
 जा चुकी है। पार्थी का पार्थी-पत्र स्वीकार  
 किया जाकर पार्थी को अपने शाराजी  
 खसरा नम्बर 2833 को कर्क-प  
 के लक्ष पहुंचने हेतु शपार्थी के खसरा  
 नम्बर 2831 व 2832 में से रास्ता  
 कायम किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व  
 रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्णय  
 प्रथम से लिखावाया गया।

पत्रावली प्रेमल कुमार होकर  
 नम्बर ले ठुम की जाकर दाखिल  
 दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)

